ग्राम पंचायत दयाल, विकास खण्ड परागपुर ,जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

1. **प्रस्तावना (क) :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दयाल, विकास खण्ड परागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्रीमती सविता ठाकुर	1-4-2013 से 22-1-2016
2	श्री सतपाल शर्मा	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री राजीव कुमार	1-4-2013 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत दयाल के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	8	अनुदान का उपयोग न करना	6.76
2	9	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	0.97
3	10	TFCTFC अनुदान की राशि MANREGA के निर्माण कार्यों पर व्यय	0.46
4	12	बिना ASSESSMENT के भुगतान करना	2.52
5	13	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना	1.11

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत दयाल , विकास खण्ड परागपुर , जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार , कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24/8/2016 से 29/8/2016 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	4/2013	1/2014
2014-15	2/2015	4/2014
2015-16	9/2015	6/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत दयाल, विकास खण्ड परागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 207/2016 दिनांक 29-8-2016 द्वारा अनुरोध किया गया | सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित नेहरनपुखर के बैंक ड्राफ्ट संख्या 795483 दिनांक 2-9-2016 द्वारा भेज दी गयी है |

4 **वितीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत दयाल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि

01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **<u>स्व स्त्रोत :-</u>**ग्राम पंचायत दयाल के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्त्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013-14	19989	34077	54066	31958	21799
2014-15	21799	31507	53306	53092	214
2015-16	214	79844	80058	52160	27898

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत दयाल के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

<u>वर्ष</u>	**<u>अथशेष</u>**	**<u>प्राप्ति</u>**	**<u>योग</u>**	**<u>व्यय</u>**	**<u>अन्तिम शेष</u>**
2013-14	455684	1818195	2273879	1945560	328319
2014-15	328319	1045419	1373738	997308	376430
2015-16	376430	1297659	1674089	998287	675802

5 **<u>बैंक समाधान विवरणी का तैयार न करना</u>**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत दयाल द्वारा हिमाचल परदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना मे मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं की जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों में ₹94583 का अंतर था | अत: पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें |

1	रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1) का अन्तशेष	27898
2	रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष	675802
	योग	**703700**

<u>अन्तशेष का विवरण:-</u>दिनांक 31-03-2016 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था|

<u>क्र0</u>	**<u>बैंक का नाम</u>**	**<u>खाता संख्या</u>**	**<u>राशि</u>**

संख्या			
1	के सी सी बी नेहरन पुखर	50055861963	5242
2	के सी सी बी नेहरन पुखर	50055861849	919
3	के सी सी बी नेहरन पुखर	50055862004	235
4	के सी सी बी नेहरन पुखर	20122040344	561638
5	के सी सी बी नेहरन पुखर	50055862026	134
6	के सी सी बी नेहरन पुखर	20122034445	0
7	के सी सी बी नेहरन पुखर	50050739925	11423
8	के सी सी बी नेहरन पुखर	**50058214980**	**29218**
		हस्तगत राशि	**308**
		योग	**609117**

अंतर =703700-609117=₹94583

6 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

7 पंचायत राजस्व की वसूली :-

ग्राम पंचायत, दयाल द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-

2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि ₹14770 वसूली हेतु शेष थी|

1 गृहकर :

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2013-14	2500	18200	20700	15700	5000
2014-15	5000	19500	24500	0	24500
2015-16	24500	28200	52700	37930	14770

(2) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था| अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया| अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए|

8 अनुदान ₹6.76 लाख का उपयोग न करना ;-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹**675802** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

9 प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹0.97 लाख का अधिक व्यय

सचिव ग्राम पंचायत दयाल द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार TFC,MANREGA,MPLADS, में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार ₹97178 ऋणआत्मक दर्शाई गयी है| जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन TFC,MANREGA,MPLADS, में अथवा किसी अन्य योजना TFC,MANREGA,MPLADS, का भुगतान करने के फलस्वरूप है | इस चूक का नियामानुसार निराकरण सुनिशचित करते हुए अनुपलना से अवगत करवाएं |

1	TFC	49089
2	MANREGA	46408
3	MPLADS	1681
	योग	**₹97178**

10 **TFC अनुदान ₹46408 का MANREGA के निर्माण कार्यों पर व्यय**

ग्राम पंचायत द्वारा मास 3/2014 में TFC अनुदान में ₹**46408** की राशि प्राप्त की गयी तथा इस राशि को ग्राम पंचायत द्वारा MANREGA योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों पर व्यय करने के कारण दिनांक 31-3-2016 को MANREGA में अन्तशेष (₹46408) था| अतः TFC अनुदान में स्वीकृत राशि को MANREGA के कार्यों पर व्यय करना तर्कसंगत नहीं है जिसका औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से किये गये व्यय की वसूली संबन्धित से की जाए|

11 **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-**

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विन्योज्न की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता| इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है|

12 **मापन पुस्तिका संख्या 7176 में की गयी निर्माण कार्यों की ASSESSMENT बारे**

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की assessment के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा| परन्तु जाँच में पाया गया कि परिशिष्ट -2 पर लगाये गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹**252309** का भुगतान किया गया जिसकी assessment मापन पुस्तिका संख्या 7176 में दर्ज की गयी थी तथा इस बारे उल्लेख भुगतान वाउचरो पर किया गया था परन्तु मापन पुस्तिका अभिलेख में उपलब्ध नही थी तथा इस बारे सचिव ने अपने

पत्र संख्या 87 दिनांक 27-8-2016 द्वारा सूचित किया है कि विभागीय जाँच हेतु उक्त मापन पुस्तिका DSP देहरा के कार्यालय में जमा है तथा इसे अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है| अत: मापन पुस्तिका को आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए|

13 **पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना;-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट 3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹111004 के स्टॉक स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया,जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का क्रय बिना निविदाएँ लिए किया गया है| अतः बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय करने तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए|

14 **अदायगी आदेश (पे आर्डर) के बिना भुगतान करना ;-**

ग्राम पंचायत के भुगतान वाउचरों की जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 49(1)व (2) के अनुसार पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नकद मे या चेक द्वारा कोई भी संद्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह पंचायत के प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्त तः हस्ताक्षरित अदायगी धारित नही करता है| जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है| _अतः नियमों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान करना सुनिशित किया जाए |

15 **मापन पुस्तिकाओं का सत्यापन न करना :-**

ग्राम पंचायत दयाल की मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाए गये कार्यो के मूल्यांकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गयी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया और न ही test check किया गया| अत: उक्त के अभाव में मुल्यांकन तथा भुगतान का ओचित्य स्पष्ट

किया जाए|

16 **मस्टरोल को निर्माण कमेटी तथा VIGILENCE कमेटी से सत्यापन न करवाना:-**

ग्राम पंचायत दयाल द्वारा लाखोँ रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्टरोल पर भुगतान किया गया परन्तु नियमानुसार मस्टरोल को निर्माण कमेटी तथा vigilence कमेटी से सत्यापन नहीं करवाया गया। अत: उक्त के अभाव में भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए !

17 **लाभार्थिओं से प्राप्त होने वाले भाग के बारे में :-**

आई डब्लू ऍम पी अनुदान के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जिन लाभार्थिओं के निर्माण कार्य यथा वाटर टैंक तथा अन्य कार्यों पर व्यय किया जाता है उनसे कुल व्यय राशि का 5% भाग प्राप्त करना तथा उसे ग्राम पंचायत के पास जमा करवाना था | अंकेक्षण अवधि के दौरान आई डबलू ऍम पी के लाभार्थिओं से कितनी राशि प्राप्त की गयी है उसकी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी और न ही उसकी जाँच की जा सकी| अत: इस बारे नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए|

18 **विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी	15(1)	
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)

6	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवम अस्थाई भंडार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

19 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

20 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया । अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

21 निष्कर्ष :- ग्राम पंचायत द्वारा विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना लेखे के प्रति उदासीनता को ही दर्शाता है जिसे विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2)39/2016–खण्ड–1– 166–169 दिनाँकः 12.01.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत दयाल, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या **1(ख)** में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पैरा संख्या 12 के संदर्भ में परिशिष्ट (2)

निम्नानुसार दर्शाए गए कार्यों की मापन पुस्तिका संख्या 7176 में Assemant दर्ज की गई

सामान्य रोकड़ वही

बा. सं.	मास	कार्य का नाम	राशि
71	1/2014	निर्माण रास्ता भगवान दास के घर से राकेश के घर तक	8760
74	1/2014	निर्माण रास्ता भगवान दास के घर से राकेश के घर तक	20076
75	1/2014	निर्माण रास्ता भगवान दास के घर से राकेश के घर तक	19924
8	4/2014	निर्माण कृष्णा ग्राउंड सुधर क्लब	12402
9	4/2014	निर्माण रास्ता राजकुमार के घर से सुशील के घर	4860

		तक	
16	6/2015	निर्माण सराय भवन एस सी बस्ती	31500
17	6/2015	निर्माण सराय भवन एस सी बस्ती	32466
17	6/2015	निर्माण सराय भवन एस सी बस्ती	19973
17	6/2015	निर्माण सराय भवन एस सी बस्ती	12480
21	6/2015	निर्माण सराय भवन एस सी बस्ती	1012
21	6/2015	निर्माण पक्का रास्ता ओंकार के घर से राजेश कुमार के घर तक	15840
22	6/2015	निर्माण पक्का रास्ता ओंकार के घर से राजेश कुमार के घर तक	1096
23	6/2015	निर्माण पक्का रास्ता ओंकार के घर से राजेश कुमार के घर तक	29692
MANREGA			
1	4/2014	निर्माण वर्षा संग्रहण टैंक रमेश कुमार	15870
2	4/2014	निर्माण वर्षा संग्रहण टैंक रमेश कुमार	3312
3	4/2014	निर्माण वर्षा संग्रहण टैंक राजा राम	4416
4	4/2014	निर्माण वर्षा संग्रहण टैंक कमला देवी	9660
5	4/2014	निर्माण वर्षा संग्रहण टैंक कमला देवी	8970
		योग	**252309**

पैरा संख्या 13 के संदर्भ में परिशिष्ट (3)ग्राम पंचायत दयाल द्वारा भंडार पंजिका में न दर्ज की गयी तथा बिना निविदाओं के क्रय की गयी मदों की सूचि

GENERAL CASH BOOK वा संख्या	मास	मद का नाम	मात्रा (CUM/CUF)	दर	राशि
75	1/2014	(i) रेत (ii) बजरी (iii) पत्थर (iv) बजरा	300 200 300 273	30 26 10 10	9000 5200 3000 2730
7	4/2014	stationary			6770
16	6/2015	bricks	4500no no.	7	31500
2	4/2014	Stationary			1356
10	6/2015	Stationary			1475
15	6/2015	(i)Water camper (ii)Water Jug	1 nono 1 nono.	1580 150	1580 150
18	6/2015	(i) खिड़कियाँ (ii) दरवाजे (iii) कबजे (iv) जाली	198.500KGkg 2nono 24 no. 48	55 4000 12 16	10917 8000 288 768
MANREGA					
114	1/2014	(i) रेत (ii) बजरी (iii) शेट्रिंग	210 200 900	26 20 6	5460 4000 5400
115	1/2014	(i) रेत (ii) बजरी (iii) शेट्रिंग	165 186 900	26 20 6	4290 3720 5400
				योग	**111004**